न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 73/2016 (उदयपुर आर्डर)

1. जीतमल पिता जोधराज जी सिंघवी, निवासी नान्देशमा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
2. नानालाल पिता जोधराज जी सिंघवी, निवासी नान्देशमा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
3. तेजमल पिता जोधराज जी सिंघवी, निवासी नान्देशमा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
4. निर्मल कुमार पिता जोधराज जी सिंघवी, निवासी नान्देशमा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती कमला बाई पुत्री जोधराज जी सिंघवी पत्नी गेहरीलाल जी बापना, निवासी पदराड़ा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती गोपी बाई पुत्री जोधराज जी सिंघवी पत्नी कन्हैयालाल जी सुराणा, निवासी गोगुन्दा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

केसुलाल पिता कन्नीराम जी ब्राहमण, निवासी ब्राहमणों की छोटी भागल, नान्देशमा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा – 75 राजस्थान भू
राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश
उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा क्रमांक एफ
4 ( ) राज/बी/भू.रू./ग्रा./14/17
/14 दिनांक 18–12–2014

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) : 1– श्री मनीष शर्मा अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री संजय बोहरा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

———::———

निर्णय **दिनांक 22–10–2019**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि हाल रेस्पोन्डेन्ट केसुलाल के आवेदन पर अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 18–12–2014 से

आवेदक केसुलाल पिता कनीराम ब्राहमण के पक्ष में ग्राम नान्देश्मा की आराजी नंबर 1689 रकबा 0.0550 हक्टर यानि 550 वर्गमीटर में से 0.0400 हैक्टर यानि 400 वर्गमीटर के संपरिवर्तन का आदेश दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 28–11–2016 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर अभिभाषक श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्टगण द्वारा अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्टगण को उक्त निर्णय की जानकारी दिनांक 08–11–2016 को हुई। जानबूझकर उनके द्वारा कोई चूक कारित नहीं की गयी है। अतः न्यायहित में विलम्ब कण्डोन किया जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

उक्त आवेदन का जवाब रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्टगण को उक्त निर्णय की जानकारी दिनांक 18–12–2014 को ही हो गयी थी, क्योंकि रूपान्तरण के पश्चात सारे गांव में चर्चा थी कि रेस्पोन्डेन्ट अपनी जमीन पर मकान बनवा रहा है एवं उसने जमीन रूपान्तरित भी करवा ली है। अतः अपील बेरून मयाद होने से इसी बिन्दु पर निरस्त की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

अपीलान्टगण द्वारा दफा 96 जा.दी. का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा निवेदन किया गया कि आराजी संख्या 1689 जो कि आम सड़क के पास आ गयी है उसके पास अपीलान्टगण की आराजी नंबर 1688 स्थित है। आराजी नंबर 1689 से अपीलान्ट अपनी आराजी नंबर 1688 में आते–जाते हैं अतः उक्त आदेश से अपीलान्टगण अपनी भूमि में आने–जाने से वंचित हो जायेगें। इसलिए अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार होने से उन्हें अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

उक्त आवेदन का जवाब रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट की आराजी नंबर 1689 से कोई रास्ता नहीं है तथा उसके

द्वारा अपनी जमीन का संपरिवर्तन करवाया गया है, जिससे अपीलान्टगण का कोई संबंध नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलान्टगण प्रभावित पक्षकार नहीं होने से उन्हें अपील प्रस्तुत करने का ही अधिकार नहीं है। अतः अपील इसी आधार पर खारिज की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमारे द्वारा उक्त दफा 5 जाब्ता मयाद के आवेदन पर मनन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18–12–2014 को संपरिवर्तन आदेश जारी किया गया है, जिसके अपील की मयाद दिनांक 17–02–2015 होती है, जबकि अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 28–11–2016 को अर्थात करीब 1 वर्ष 9 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं इसके लिए जो कारण बताये हैं वह न तो उचित हैं न ही पर्याप्त, जबकि देरी से अपील प्रस्तुत करने के मामले में प्रत्येक दिन की देरी को स्पष्ट किया जाना आवश्यक होता है। तद्नुसार अपील बेरून मयाद होने से इसी आधार पर खारिज योग्य है।

जहां तक दफा 96 जा.दी. के आवेदन का प्रश्न है, राजस्व रेकार्ड में विवादित आराजी नंबर 1689 रकबा 0.0550 हैक्टर भूमि रेस्पोन्डेन्ट केसुलाल की खातेदारी में दर्ज है, जिसमें से उनके द्वारा 0.0400 हैक्टर भूमि का संपरिवर्तन करवाया गया है। विवादित भूमि पर किसी प्रकार का रास्ता उपलब्ध हो ऐसी कोई साक्ष्य रेकार्ड पर नहीं है। तद्नुसार हम अपीलान्टगण को आवश्यक, हितबद्ध एवं प्रभावित पक्षकार नहीं पाते है एवं अपीलान्ट का धारा 96 जाब्ता दीवानी का आवेदन खारिज योग्य पाते हैं।

अतः अपील बेरून मयाद होने तथा अपीलान्टगण आवश्यक, हितबद्ध एवं प्रभावित पक्षकार नहीं होने से अपील अपीलान्ट इसी स्तर पर खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का संपरिवर्तन आदेश दिनांक 18–12–2014 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 22–10–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर